

29.11.22

वकुलाय फरीकेन उपस्थित।  
उक्त जा० पत्र से संबंधित  
मूल वाद काज तलबी के अभाव  
में खारिज हो गया है। इस  
कारण मूल वाद के अभाव में  
दलगत जा० पत्र आगे चलने योग्य  
नहीं है। अतः दलगत जा० पत्र  
खारिज किया जाता है। पत्रावली  
कम्बर से कम होकर मूल वाद  
सं: 116/2017 उमवारी खुमान वगै०  
वगाम वमवारी आदि के संलग्न  
हैं।

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

